न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल, जिला बारां (राज0)

बइजलास श्री सौरभ भाम्बु (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या :—22/23/प्रार्थना पत्र/बउनवान/धन्नालाल वगै. बनाम बाबूलाल वगै.
जीसीएमएस संख्या 2023/88

1. धन्नालाल उम्र 57 वर्ष पुत्र कस्तुरचन्द जाति मीणा निवासी रामपुरिया बडोद तहसील मांगरोल जिला बारां (राज.)
2. घनश्याम उम्र 55 वर्ष पुत्र कस्तुरचन्द जाति मीणा निवासी रामपुरिया बडोद तहसील मांगरोल जिला बारां (राज.)
3. बाबूलाल उम्र 53 वर्ष पुत्र कस्तुरचन्द जाति मीणा निवासी रामपुरिया बडोद तहसील मांगरोल जिला बारां (राज.)

.........प्रार्थीगण

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र गोपी जाति बैरवा निवासी देवखेड़ली तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
2. सुनीता पुत्री रामगोपाल जाति मेहतर (हरिजन) निवासी श्रीनाल तहसील मांगरोल जिला बारां (राज.)
3. शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा सीसवाली जिला बारां (राज.)
4. श्रीमान जिला कलक्टर बारां जिला बारां (राज.)
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साबह तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)

........अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0</u>

वकील प्रार्थीगण : श्री दयाकृष्ण धाकड़
वकील अप्रार्थी क्रम 1 व 2 :— श्री लवकुल गौड़
वकील अप्रार्थी क्रम 3 : श्री मनोज आर्य
दायरा दिनांकः 04.04.2023 **निर्णय दिनांक : 30.04.2026**

~ : निर्णय : ~

प्रार्थीगण निम्नलिखित आधारों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करते हैं कि :—

प्रार्थीगण के शामलाती खाते की आराजी खसरा नं0 186 रकबा 0.35 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.35 है0 वाके ग्राम रामपुरिया बडोद तहसील मांगरोल जिला बारां राज. में सम्वत् 2069—72 में दर्ज राजस्व रिकार्ड थी एवं वर्तमान में प्रार्थी का 35 वर्ष पुराना मकान खसरा नं0 186 रकबा 0.35 है0 में बना हुआ हैं एवं शेष आराजी में प्रार्थीगण निर्बाध रूप से काश्त करते चले आ रहे है। जिसे वाद में आगे विवादित आराजी के नाम से संबोधित किया गया है।

(सौरभ भाम्बु)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

प्रार्थीगण के खातेदारी की विवादित आराजी प्रार्थीगण के सम्वत् 2069–72 में दर्ज थी लेकिन राजस्व कर्मचारी व अधिकारी (पटवारी, कानूनगो, तहसीलदार) द्वारा नवीन जमाबंदी बनाते समय एवं जमाबंदी जिल्द के नीचे क्रम वाले खातेदार नन्दलाल पुत्र अमरलाल बैरवा द्वारा अपनी आराजी का बैचान कर दिये जाने से सहवन से प्रार्थीगण एवं नीचले क्रम के खातेदार नन्दलाल पुत्र अमरलाल की सम्पूर्ण आराजी इन्तकाल नं0 126 से क्रेता बाबूलाल अप्रार्थी क्रम 1 के खातेदारी में दर्ज कर दी है। प्रार्थीगण के खातेदारी की विवादित आराजी को प्रार्थीगण द्वारा कभी भी बेचान, रहन नही किया गया है। प्रार्थीगण एस.टी. केटेगरी के व्यक्ति है एवं अप्रार्थी क्रम 1 व 2 एस.सी. केटेगरी के व्यक्ति है जिनके मध्य किसी भी प्रकार से सम्पत्ति का हस्तान्तरण नही हो सकता है एवं एस.सी./ एस.टी. केटेगरी के बीच कृषि आराजी का हस्तान्तरण धारा 42 बी आर. टी.एक्ट. का उल्लघंन हैं एवं हस्तान्तरण शुन्य है। प्रार्थीगण की विवादित आराजी हाल खसरा नं0 186 रकबा 0.35 है0 ग्राम रामपुरिया बडोद तहसील मांगरोल को बिना किसी कानूनी अधिकार के राजस्व कर्मचारियों द्वारा अप्रार्थी क्रम 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया है जिसकी पुष्टि जमाबंदी सम्वत् 2073–76 से होती है। राजस्व कर्मचारियों सहवन से नवीन जमाबंदी बनाते समय प्रार्थीगण के खाते की आराजी खसरा नं0 186 रकबा 0.35 है0 अप्रार्थी क्रम 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दी है, प्रार्थीगण की विवादित आराजी खसरा नं0 186 रकबा 0.35 है0 इन्तकाल नं0 326 से अप्रार्थी क्रम 1 के खातेदारी में दर्ज की गयी है लेकिन इन्तकाल नं0 326 में खसरा नं0 186 रकबा 0.35 है0 का कही भी उल्लेख नही है इसलिए इन्तकाल नं0 326 प्रार्थीगण के विरूद्ध शुन्य है तथा प्रार्थीगण आराजी खसरा नं0 186 रकबा 0.35 है0 के खातेदारी घोषित होने के कानूनन अधिकारी है।

प्रार्थीगण की विवादित आराजी हाल खसरा नं0 186 रकबा 0.35 है0 बिना किसी कानूनी अधिकार के अप्रार्थी क्रम 1 के राजस्व कर्मचारियों द्वारा खातेदारी में दर्ज की है जिसका राजस्व कर्मचारियों को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। प्रार्थीगण की विवादित आराजी खसरा नं0 186 रकबा 0.35 है0 वाके ग्राम रामपुरिया बडोद को अप्रार्थी क्रम 1 बिना किसी विधिक अधिकार के अप्रार्थी क्रम 2 को रजिस्टर्ड बैचान दिनांक 20.02.2022 को कर दिया है तथा वर्तमान जमाबन्दी में अप्रार्थी क्रम 2 खसरा नं0 186 रकबा 0.35 है0 ग्राम रामपुरिया बडोद पर बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड दर्ज है एवं अप्रार्थी क्रम 2 द्वारा 13 वर्ष की सर्च करवाकर भारतीय स्टेट बैंक शाखा सीसवाली द्वारा बिना सर्च किये एस.टी. की आराजी पर एस.सी. केटेगरी को ऋण जारी कर दिया है जिसका अप्रार्थी क्रम 3 को किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नही है। अप्रार्थी क्रम 3 ने 13 वर्ष बिना सर्च किये ही एस.टी. केटेगरी की आराजी पर एस.सी. केटेगरी को ऋण जारी कर कानूनी भूल की है इसलिए अप्रार्थी क्रम 3 अपने ऋण को अप्रार्थी क्रम 2 की अन्य आराजी से वसूल करे। अप्रार्थी क्रम 3 को खसरा नं0 186 रकबा 0.35 है0 आराजी ग्राम रामपुरिया बडोद से अपनी ऋण राशि वसूल करने का अधिकार प्राप्त नही है। प्रार्थीगण की विवादित आराजी खसरा नं0 186 रकबा 0.35 है0 वाके ग्राम रामपुरिया बडोद को राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना किसी प्राधिकार के एस.टी. केटेगरी की आराजी को एस.सी. केटेगरी के नाम हस्तान्तरित कर दिया है जिसका राजस्व कर्मचारियों को कोई अधिकार प्राप्त नही था इसलिए विवादित आराजी पर से अप्रार्थी क्रम 3 का नाम डिलीट किया जाकर व बैंक रहन हटाया जाकर प्रार्थीगण को खातेदारी घोषित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है जिसके प्रार्थीगण कानूनन अधिकार व नालिसी है।

(सौरभ भाम्बु)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

वर्तमान में उक्त विवादित आराजी अप्रार्थी क्रम 2 के नाम दर्ज है तथा अप्रार्थी क्रम 3 का रहन भार दर्ज है जो प्रार्थीगण की आराजी में दखलान्दाजी करने की धमकी देते है इसलिए अप्रार्थीगण को दखलान्दाजी नही करने बाबत् ताफैसला वाद जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना न्यायहित में आवश्यक है जिसके प्रार्थीगण कानूनी अधिकारी व नालिसी है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ठोस तथ्यों पर आधारित है क्योंकि प्रार्थीगण उक्त आराजी पर गत 35 वर्षों से मकान बनाकर निवास कर रहे है तथा शेष आराजी पर काश्त कर रहे है। सुविधा का संतुलन पूर्णतया प्रार्थीगण के पक्ष मे है क्योंकि उक्त विवादित आराजी प्रार्थीगण के कब्जे व खाते की आराजी है। जिस पर बतौर खातेदार जमाबन्दी सम्वत् 2069 – 72 में दर्ज रही है जो राजस्व कर्मचारी की गलती से नवीन जमाबन्दी बनाते समय सहवन से तत्कालीन खातेदार के नाम दर्ज हुयी है जिससे अप्रार्थी क्रम 2 ने रजिस्टर्ड बैचान से खरीद की है जिस पर अप्रार्थी क्रम 1 व 2 का कभी कब्जा नही रहा है। अपूर्णनीय क्षति पूर्णतया प्रार्थीगण की अधिक है क्योंकि विवादित आराजी प्रार्थीगण की आराजी है जिस पर से अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को बेदखल करने व रहन, बैचान करने में सफल हो गये जो प्रार्थीगण को होने वाली क्षति की पूर्ति भविष्य में किसी भी प्रकार किया जाना संभव नही होगा। अन्य कारण दौरान बहस मौखिक निवेदन किये जावेगे। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की जावें कि आराजी खसरा नं0 186 रकबा 0.35 है0 वाके ग्राम रामपुरिया बडोद तहसील मांगरोल में अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलान्दाजी नही करे, प्रार्थीगण को शान्तिपूर्णक काश्त करने देवें तथा विवादित आराजी को किसी अन्य के पक्ष में रहन, बैचान नही करें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन् तलब किया गया। वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी एवं गहनता से मनन किया गया। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली एवं सलंग्न दस्तावेजात के अवलोकन से प्रार्थीगण के पक्ष मे प्रथम दृष्टया मामला बनता है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण 1 एवं 2 को इस आशय से जारी की जाती है कि ग्राम रामपुरिया बडोद तहसील मांगरोल के खसरा नं0 186 रकबा 0.35 है0 भूमि में से प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की आराजी में जवाब पेश होने तक मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अप्रार्थीगण को जो भी कथन कहना हो दिनांक 28.04.2023 को पेश हो। वकील प्रार्थीगण द्वारा अर्जेन्ट सुनवाई का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पत्रावली पर सुनवाई हेतु निवेदन किया गया। अप्रार्थी क्रम 1, 2 , 3 को बार – बार जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अवसर देने के उपरान्त भी अप्रार्थी क्रम 1, 2 , 3 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया। पत्रावली लम्बे समय से अनेक बार अप्रार्थी क्रम 1, 2 , 3 को जवाब प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय देने के बाद भी अप्रार्थी क्रम 1, 2 , 3 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किये जाने के उपरान्त जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी बन्द किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल इन्तकाल नंबर 326 संवत 2069 – 72, नकल इन्तकाल 326, नकल जमाबंदी खाता संख्या 46, नकल केवट खतौनी खाता संख्या 34 संवत 2065–2068, नकल केवट खतौनी खाता संख्या 128 संवत 2065 – 2068 , नकल केवट खतौनी खाता संख्या 38 संवत 2069–2072, नकल केवट खतौनी खाता संख्या 39 संवत 2069–2072, नकल केवट खतौनी खाता संख्या 68

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

(सौरभ भाम्बू)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

संवत 2073–2076, नकल केवट खतौनी खाता संख्या 69 संवत 2073–2076, नकल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.02.2022 फर्द दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजों एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया जाकर उभयपक्षकारान की बहस पर चिंतन व मनन किया गया।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ठोस तथ्यों पर आधारित है क्योंकि प्रार्थीगण उक्त आराजी पर गत 35 वर्षों से मकान बनाकर निवास कर रहे है तथा शेष आराजी पर काश्त कर रहे है। उक्त विवादित आराजी प्रार्थीगण के कब्जे व खाते की आराजी है। जिस पर बतौर खातेदार जमाबन्दी सम्वत् 2069 – 72 में दर्ज रही है तथा अप्रार्थी क्रम 1 व 2 का कभी विवादित आराजी पर कब्जा नही रहा है। इस प्रकार सुविधा का संतुलन पूर्णतया प्रार्थीगण के पक्ष मे है। विवादित आराजी प्रार्थीगण की आराजी है जिस पर से अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को बेदखल करने व रहन, बैचान करने में सफल हो गये तो अपूर्णनीय क्षति भी प्रार्थीगण को ही होगी। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी किया जाना आवश्यक हैं कि अप्रार्थीगण 1 एंव 2 प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की आराजी वाके ग्राम रामपुरिया बडोद तहसील मांगरोल के खसरा नं0 186 रकबा 0.35 है0 भूमि पर ताफैसला मूल वाद प्रार्थीगण के कब्जें काश्त में किसी प्रकार की दखलअन्दाजी नही करें, प्रार्थीगण को शान्तिपूर्वक काश्त करने देवें तथा विवादित आराजी को किसी अन्य के पक्ष में रहन,बेचान नही करें।

:: क्रियात्मक आदेश ::

अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बहस वकील उभयपक्षकारान, संलग्न दस्तावेजों एवं राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट स्वीकार किया जाता हैं तथा अप्रार्थीगण 1 एवं 2 को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पांबद किया जाता हैं कि अप्रार्थीगण 1 एवं 2 प्रार्थीगण के कब्जें काश्त की आराजी वाके ग्राम रामपुरिया बडोद तहसील मांगरोल के खसरा नं0 186 रकबा 0.35 है0 भूमि पर ताफैसला मूल वाद प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार की दखलान्दाजी नही करें, प्रार्थीगण को शांतिपूर्वक काश्त करने देवें तथा विवादित आराजी को किसी अन्य के पक्ष में रहन,बेचान नही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील तामील शामिल मूल वाद हो।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सौरभ भाम्बू (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

(सौरभ भाम्बू)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल